न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 75/2019

1–तुलछाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी बनगढ तहसील नांवा जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

2– महाप्रबन्धक सांभर साल्ट लिमिटेट, सांभर लेक

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री समदर सिंह अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री मुकेश कुमार अजमेरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956
अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नांवा दिनांक 28.05.2019
बअनुवान पटवारी बनाम सांभर साल्ट प्रकरण संख्या 39/18

निर्णय

दिनांक:07.01.2022

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 39/2018 बअनुवान सरकार बनाम महाप्रबन्धक साभंर साल्ट वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.5.2019 के विरूद्ध पेश किया है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

नम्बर 01 रकबा 11 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जो कि सरकार की गै0मु0 झील की भूमि है। अतः उक्त विवादित भूमि से अप्रार्थी / अपीलान्ट को बेदखल करने का निवेदन किया।

न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट खसरा परिवर्तनशील अनुसार अपीलान्ट / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत तलब किया गया । अप्रार्थीगण / अपीलान्ट का नोटिस स्वंय से तामील होकर प्राप्त हुऐ। न्यायालय द्वारा अपीलान्ट / अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 11 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 झील की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 01 रकबा 11 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 झील से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2075 की वार्षिक लगान दर 44.00 का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 2200 / – अक्षरे दो हजार दो सौ कायम किया गया व पटवारी हल्का को अप्रार्थी / अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये गये।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट / अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 31.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 01.08.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 09.3.2021 को प्राप्त जो शामिल मिसल किया।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3}(1)–यह है ग्राम नावां के खसरा नम्बर 01 रकबा 11 हैक्टेयर की गैर मुमकिन झील भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड की सबसिडेरी मैसर्स सांभर साल्ट लि0 के पावर पजेशन व रिकोर्ड में रही है।

{3}(2) –यह है कि उक्त सांभर साल्ट लि0 की 60 प्रतिशत शेयर होल्डिंग सेन्ट्रल गोरमेन्ट के साथ है तथा 40 प्रतिशत शेयर हाल्डिंग राज्य सरकार के अन्तर्गत है तथा सांभर साल्ट को नमक उत्पादन करने के लिए 99 वर्ष की लीज दिनांक 19.04.2060 तक सोंपी हुई है।

{3}(3) – यह है कि उक्त खसरा नम्बर 01 सांभर साल्ट लि0 प्राईवेट सर्विस कोनटेक्टर के माध्यम से वहॉ नमक का उत्पादन करवाती है और इस श्रखंला में प्राईवेट सर्विस कोनटेक्टर को नमक उत्पादन के लिए आमन्त्रित किया । उसी श्रखंला में अपीलान्ट तुलछाराम ने भी अपना नमक उत्पादन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर सांभर साल्ट लिमिटेड ने दिनांक 08.03.2016 को देवदानी से गुढा एरिया के मध्य में 100 क्यारे नमक उत्पादन के लिए बएवज प्रतिफल दिये, जिसके तहत अपीलान्ट वहॉ नमक उत्पादन करता आया है तथा उक्त अनुबन्ध को सांभर साल्ट ने दिनांक 31.07.2019 तक पुनः 70 क्यारों के लिए अपीलान्ट को नमक उत्पादन की परमिशन कुल राशि 17,40,200/– रूपये में एलोट की गई। जिसमें अधिकाश राशि अपीलान्ट द्वारा अदा की जा चुकी है।

{3}(4) –यह है कि अपीलाधीन चुनौतीग्रस्त आदेश को पारित करते हुए अपीलान्ट तुलछा राम को साक्ष्य सफाई का अवसर देना तो बहुत दूर बल्कि सूचना तक प्रेषित नहीं की गई व न सुना गया व न साक्ष्य ली गई।

{3}(5) –यह है कि अपीलाधीन चुनौतीग्रस्त आदेश धारा 91 एल.आर.एक्ट प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है, जिसकी गैर मौजुदगी में आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त भी राजकीय उपक्रम मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेशन के द्वारा अपीलान्ट से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

एग्रीमेन्ट कर नमक उत्पादन की अनुमति देकर समय समय लाखों रूपये की किस्तों के रूप में प्राप्त किया है।

{3}(6)– यह है कि अपीलान्ट द्वारा मौका देख व नाप चौप हेतु प्रार्थना पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया है जिस पर भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है यदि मौका रिपोर्ट बनाई जाती है, तो मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

{3}(7)– यह है कि अपीलान्ट एक गरीब काश्तकार है उसकी केवल सांभर साल्ट में लाखों रूपयो की राशि जमा कराने की व्यवस्था करने पड़ी बल्कि उक्त PANS को डवलप करने के लिए क्यारे, कुऐं नहर आदि का निर्माण करने में लाखों रूपये खर्च करने पड़े जिससे अपीलान्ट बहुत अधिक कर्जे के नीचे दब गया तथा वह बर्बादी के कंगार पर आ गया ।

{3}(8)– यह कि यह है कि अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। राजकीय उपक्रम में किये गये एग्रीमेन्ट दिनांक 08.03.2016 तत्पश्चात आगे विस्तारित किये गये दिनांक 30.8.2018 के तहत विधिक अनुमति प्राप्त कर व नमक उत्पादन के लिए उक्त भूमि का प्रिमियम जमा करा कर ही नमक उत्पादन कर रहा है। जिसमें अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

{4} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एंव अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसे पूर्व नहीं थी, उसे जानकारी निर्णय की नकल दिनांक 30.7.19 को प्राप्त करने से हुई है तथा नकल प्राप्त करते ही दिनांक 31.7.19 को अपील प्रस्तुत कर दी गयी। अतः अपील दर्ज करने से हुई देरी माफ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। अतः अपीलार्थी को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अपील में हुई देरी माफ करने योग्य होने से अपीलार्थी का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं

{5} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नावा की रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 11 हैक्टर गै0 मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी माना है। जबकी अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया है कि जिस भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना गया है वह भूमि सांभर साल्ट लि0 की है तथा वहां पर साभर साल्ट लि0 प्राईवेट सर्विस कान्ट्रेक्टर के माध्यम से नमक का उत्पादन करवाती है ख0नं0 1 में सांभर साल्ट लि0 ने दिनांक 8.3.16 को देवदानी से गुढा एरिया के मध्य में 100 क्यारें नमक उत्पादन के लिए बएवज प्रतिफल दिये जिसके तहत नमक उत्पादन अपीलान्ट द्वारा किया जाता है। उक्त अनुबन्ध को सांभर साल्ट ने दिनांक 31.7.2019 तक पुनः 70 क्यारों के लिए अपीलान्ट को नमक उत्पादन की अनुमति 17,40,200/–रूपये में एलोटी की गयी थी।

पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि सांभर साल्ट रिफाईनरी/कम्पनी भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन से भारत सरकार व राज्य सरकार की हिस्सेदारी में निर्मित हुई है तथा इसमें बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स भी भारत एवं राज्य सरकार के अधिकारी है। अपीलान्ट को सांभर साल्ट लि0 द्वारा प्रतिफल लेकर नमक क्यारे आंवटित किए गए हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों दस्तावेजात में मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सांभर साल्ट लि0 की लीज की वर्तमान स्थिति एवं सांभर साल्ट लि0 को आगे सबलेट करने के क्या अधिकार है, के सम्बन्ध में दस्तावेजों की जांच कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)